न्यायालय अपील अधिकरण (जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः— गौरव अग्रवाल, आई.ए.एस.

भरण पोषण अपील संख्याः GCMS No.-2022/324

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थीगण
1—दुर्गादास पुत्र गोपाल दास 2—पुष्पा देवी पत्नी दुर्गादास जाति धोबी, उम्र—66 वर्ष निवासी मकान नं. के/460, विकास नगर, चांदणा भाकर, देवी रोड़, जोधपुर		1—सुनीता पत्नी स्व. विजय कुमार 2—अजय कुमार पुत्र दुर्गादास जाति धोबी, निवासी मकान नं. के/460, विकास नगर, चांदणा भाकर, देवी रोड़, जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 16, माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण—पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 06.07.2022 जो उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर (उत्तर) द्वारा प्रकरण संख्या 76/2020 दुर्गादास व अन्य बनाम सुनीता व अन्य में पारित किया गया।

उपस्थितिः—

1—अपीलार्थीगण अनुपस्थित।
2—प्रत्यर्थीगण अनुपस्थित।

आदेश

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण की ओर से उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर (उत्तर) के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 बाबत अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण से भरण पोषण राशि 5000—5000 रूपये प्रतिमाह दिलाने एवं अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण के मकान से अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण को मकान से बेदखल करने हेतु प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर (उत्तर) द्वारा सुनवाई कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.07.2022 को पारित किया गया, जिसमें अप्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या 2 को अपीलार्थीगण को भरण पोषण हेतु तीन हजार प्रतिमाह देने, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को अपने अपने हिस्से के बिजली व पानी के बिल का भुगतान करने व

अपील अधिकरण, जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण के साथ सदव्यवहार बनाये रखने, मारपीट–गलीगलौच न करने व बीमारी की स्थिति में डॉक्टर–दवाई की व्यवस्था करने हेतु पाबंद किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज (GCMS No.-2022/324) कर प्रत्यर्थीपक्ष/अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये व अधीनस्थ अधिकरण का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अप्रार्थी/प्रत्यर्थी–1 का नोटिस तामिल दिनांक 20.10.2024 को प्राप्त हुआ तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 दिनांक 01.11.2022 को उपस्थिति हेतु उपस्थित हुए। अधीनस्थ अधिकरण से मूल अभिलेख प्राप्त हो चुका है। नियत सुनवाई दिनांक 05.02.2025 को उपस्थित अपीलार्थी/प्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी/प्रत्यर्थी–1 का पक्ष सुना गया, इस प्रकार उभयपक्षकरान की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी/प्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में बतलाया कि अप्रार्थी संख्या 1 पुत्रवधु व अप्रार्थी संख्या 2 पुत्र है। अपीलार्थी ने अधीनस्थ अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर (उत्तर)) के समक्ष माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत अपीलार्थीगण/प्रार्थीग्ण को अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण से भरण पोषण राशि दिलाने एवं अप्रार्थीगण को मकान से बेदखल कराने का आवेदन करने के उपरांत भी अपीलार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रदान नही कर विधिक भूल की है। बहस में यह भी कहा गया कि अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण का एक मकान वाके मकान न. के–460, विकास नगर, चांदणा भाखर, देवी रोड, जोधपुर में आया हुआ है। प्रार्थीगण के बडे पुत्र विजय कुमार का सन् 2010 में देहान्त हो गया उपरोक्त मकान में विजय कुमार की पत्नी अप्रार्थी संख्या 1 अपने तीन बच्चों के साथ निवास कर रही है तथा अप्रार्थी संख्या 2 जोधपुर रेल्वे में वर्तमान में काम कर रहा है तथा उसके परिवार में उसकी पत्नी दुर्गादेवी व दो बच्चे है। वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 के पति का सन् 2010 में देहान्त हो जाने के पश्चात् वह उस मकान के कमरे में अलग निवास कर रही है तथा एक कमरे में धोबी का कार्य करके वह अपनी आजीविका कमा रही है, इसके अलावा समय–समय पर वह दिन भर हर समय वह मोबाईल फोन, व्हाट्सअप से चेटिंग वगैरा करती रहती है तथा यही स्थिति अप्रार्थी संख्या 2 की है। दोनों ही अप्रार्थीगण की आमदनी होने के बावजूद वर्तमान में अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण जो पिछले दो साल से वृद्ध होने के कारण पूरा कार्य नहीं कर पा रहा है जिससे वे अपनी आजीविका भी बडी मुश्किल से चला पाने की स्थिति में है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण का सामाजिक, कानूनी व नैतिक दायित्व था कि वे प्रार्थी व उसकी पत्नी का भरण पोषण करने के अलावा प्रतिमाह के हिसाब से उसे हाथ खर्च दें परंतु अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीगण का भरण पोषण देने से इंकार कर दिया व इसके साथ ही साथ समय–समय पर प्रार्थीगण के साथ लडाई झगडा, गाली गलौच व अपशब्दों का प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा मकान में बिजली व पानी खर्चा अदा करने से इंकार कर दिया। ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थीगण जो कुछ छुटकर काम करता है उस आय से

अपील अधिकरण, जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

भूखा रह करके वह बिजली व पानी के कनेक्शन के बिल के पैसे जमा कराते है व जब कभी अप्रार्थीगण को बिजली व पानी का कनेक्शन के बिल जमा कराने हेतु कहा जाता है तो अप्राथीगण क्रोधित होकर के प्रार्थीगण को मारने के लिए उतारू हो जाते है तथा वे खुलेआम कर रहे हैं कि वे इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न कर देंगे कि प्रार्थीगण को यह मकान छोडकर जाना पडेगा। वर्तमान में दोनों ही अप्रार्थीगण तंग व परेशान करने के अलावा मकान की मरम्मत, बिजली पानी का खर्चा व किसी भी प्रकार का व्यय मकान के संबंध में नही कर रहे है। बहस में आगे बतलाया गया कि अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा इस तथ्य की पुष्टि की गई है कि मकान के अंदर हर समय लडाई झगडा व गाली गलौच होती है जिस कारण से प्रार्थीगण को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडना झेलनी पडती है तथा इस संबंध में प्रार्थीगण को डराने धमकाने व लज्जा भंग आदि के मुकदमें करने व पुलिस थाना में गिरफ्तार कराने तक की धमकी दी गई है। बहस के अंत में अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ अधिकरण के आदेश दिनांक 06.07.2022 को अपास्त कर उक्त मकान से अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण को बेदखल करने का आदेश दिये जाने की इस्तदुआ की।

अप्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या 1 ने नियत सुनवाई तिथि को अपना पक्ष रखते हुए बतलाया कि वे अपने पति का वर्ष 2010 में दुर्घटना में देहान्त होने के बाद अपने बच्चों सहित प्रार्थीगण के मकान में एक कमरे में निवास कर रही है। अप्रार्थी संख्या 1 कपड़ो की धुलाई तथा प्रेस का कार्य करके भरण पोषण करती है। प्रार्थीगण द्वारा मनगढ़त झूठे तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की गई। बहस के अंत में अप्रार्थी के पास अपने बच्चों सहित निवास के लिए और कोई जगह अथवा मकान नही होने से अपील को खारिज किये जाने की इस्तदुआ की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ अधिकरण से प्राप्त मूल अभिलेख का भी अध्ययन किया। अपीलार्थी पक्ष द्वारा अपील में मुख्य रूप से अधीनस्थ अधिकरण का आदेश अपास्त किया जाकर अप्रार्थीगण को मकान से बेदखल करने का निवेदन किया गया। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 वरिष्ठ नागरिकों एवं माता–पिता के संरक्षण हेतु कवच/बचाव के लिए है न कि हथियार के रूप में उपयोग में लाने हेतु बनाया गया है तथा अधिनियम की धारा 23 के अनुसार जायदाद से बेदखल कर कब्जा सुपुर्द कराने का प्रावधान नही है। उक्त अधिनियम का मुख्य मंतव्य वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है न कि जमीन–जायदाद के विवादों का निस्तारण करना, ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण व प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण के मध्य सम्पति का विवाद का निस्तारण सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाना उचित है। उक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ अधिकरण का आदेश हस्तक्षेप योग्य नही है अतः अधीनस्थ अधिकरण का आदेश यथावत रखा जाकर अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत

अपील अधिकरण, जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

अपील को खारिज किया जाता है। साथ ही अधीनस्थ अधिकरण को यह आदेशित किया जाता है कि अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.07.2022 की पूर्णतः पालना अप्रार्थीगण द्वारा की जा रही है को सुनिश्चित करे तथा इस हेतु संबंधित सरंक्षण अधिकारी को भी पाबंद करे। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश प्रति के साथ मूल अभिलेख संबंधित अधीनस्थ अधिकरण को सूचनार्थ एवं पालनार्थ पुनः लौटाया जावे। आदेश सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

आदेश आज दिनांक 11.02.2025 को सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)